# वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - **Development of BCC/IEC Strategy**
(Technical Support at District Level )

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - A.12.2

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - A.12.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - जिल स्तर प्रचार-प्रसार में तकनीकि सहयोग।

इकाई राशि (रू० लाख में) - 25000/- रू० प्रतिवर्ष प्रति जिला स्वास्थ्य समिति

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा -सह-प्रभारी आई.ई.सी.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017



३।·

## A.12.2 जिला स्तर पर तकनीकी सहयोग

**परिभाषा :**
जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने, सामग्री तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा तकनीकी सहयोग।

**आवश्यकता :**
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा/बोल एवं रीति-रिवाजों में परिवर्तन होने के कारण जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त नीति एवं सामग्री तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का अभाव है इसलिए विशिष्ट एजेंसी द्वारा तकनीकी सहयोग आवश्यक हो जाता है।

**संपादन :** तकनीकी सहयोग के लिए एजेंसी का चयन सिविल सर्जन की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक की कमिटि द्वारा कौटेसन आमंत्रित कर वित्तीय नियमानुकूल किया जायेगाा।

**क्रियान्वयन :** चयनित एजेंसी को जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा जिन मुद्दों/विषयों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री तैयार करनी है, उनकी जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी के आधार पर एजेंसी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा रूपरेखा का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् सामग्री के नमूने एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये जायेगे। इन नमूनों का क्षेत्र में लक्षित जनता के बीच प्री टेस्ट जिला कार्यक्रम प्रबंधक करेगें। इसके पश्चात् ही अंतिम निर्णय सिविल सर्जन द्वारा लिया जायेगाा। जिले में प्राथमिकता तथा प्रदेश की रणनीति के आधार पर उन मुद्दों का चयन पहले से हीं कर लिया जायेगा जिनके लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी। जिला स्वास्थ्य समिति को एक वर्ष में कुल २५०००/- रूपये जिला स्वास्थ्य समितियों को निर्गत किये जायेगें। जिसे जिला स्वास्थ्य समिति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करा राशि खर्च करने का अधिकार है। यह कार्य पूरे वित्तीय वर्ष आवश्यकतानुसार की जायेगी।

एजेन्सी की भूमिका मुख्य रूप से प्रचार-प्रसार सामग्री का कम्प्यूटर पर डिजाइनिंग से संबंधित होगा। प्रचार-प्रसार के अवधारणा का निर्माण जिला स्वास्थ्य समिति आपने स्तर से करेगी तथा तैयार किये गये डिजाईन की तकनीकि स्वीकृति राज्य स्तर के आई०ई०सी० सलाहकार के प्राप्त करना आवश्यक होगा।

**मूल्याकनः-**
मूल्याकन का आधार मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर किया जायेगा। एक जिस गतिविधि के लिए प्रचार-प्रसार के सामग्री का निर्माण किया गया है उस गतिविधि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उससे संबंधित आई०ई०सी० गतिविधि के मूल्याकन का मापदंड होगा।



312.

## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - ''अन्य गतिविधियाँ''
(जिला स्तरीय कार्यकलापों (रेडियो, टीवी, ए.वी., आई.ई.सी. रणनीति के अनुसार ह्यूमैन मीडिया) एवं जिला स्तरीय बी०सी०सी० रणनिति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation(13.5+13.17 समेकित)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - A.12.4

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - A.12.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - जिला स्तरीय कार्यकलापों (रेडियो, टीवी, ए.वी., आई.ई.सी. रणनीति के अनुसार ह्यूमैन मीडिया) एवं जिला स्तरीय बी०सी०सी० रणनिति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation(13.5+13.17 समेकित)

इकाई राशि (रू० लाख में) - 1.6 लाख रू० प्रतिवर्ष प्रति जिला स्वास्थ्य समिति

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा -सह-प्रभारी आई.ई.सी.**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017

## A.12.4- ''अन्य गतिविधियाँ''

(जिला स्तरीय कार्यकलापों (केबल टीवी, ए.वी., आई.ई.सी. रणनीति के अनुसार ह्यूमैन मीडिया) एवं जिला स्तरीय बी०सी०सी० रणनिति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation)

**परिभाषाः**
जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने, सामग्री तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय जिला स्तर की विशिष्ट सम्प्रेषण गतिविधियाँ (केबल टीवी, ए.वी., आई.ई.सी. रणनीति के अनुसार ह्यूमैन मीडिया/स्थानीय मेला) द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

**उद्देश्यः**
सम्प्रेषण को उपयुक्त एवं प्रभावी बनाने के लिये स्थानीय स्तर की ऐसी गतिविधियाँ आवश्यक है जिनसे सेवाओं का प्रचार-प्रसार हो सके तथा जो व्यवहारों एवं प्रचलनों को भी प्रभावित कर सकें। इससे अतिरिक्त राज्य स्तर पर जन-संचार एवं समुदाय स्तर पर ''आपसी बातचीत की कला'' भी इसमें योगदान कर सकती है। इन गतिविधियों से जन संचार के माध्यम से संप्रेषित संदेशों को मजबूती मिलेगी तथा जन समुदाय तक संदेशों का प्रसार बार-बार हो सकेगा। प्रचार-प्रसार संचरन माध्यम को सशक्त बनाने, दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ संचारन हेतु एवं स्वास्थ्य योजनाओं से मानव को व्यवहार एवं अनुभव के साथ जोड़ा जाना है। यह क्रियाकलाप मास मीडिया के संदेश को तीव्र गति से संचारित करेगा।

**आवश्यकता :**
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा/बोल एवं रीति-रिवाजों में परिवर्तन होने के कारण जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त नीति एवं सामग्री तैयार करना आवश्यक है।

**संपादन :** यह कार्य जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव सह सिविल सर्जन द्वारा किया जायेगा।

**क्रियान्वयन :** यह कार्य योजना अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक की कमिटि तैयार करेगी। जिसमें आवश्यक संबंधित स्थानीय संस्था/एजेन्सी का अल्पकालीन निविदा/ कोटेसन द्वारा चयन किया जायेगा । इस कमिटि के अध्यक्ष सिविल सर्जन होगें। चयनित एजेंसी को जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा जिन मुद्दों/विषयों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री तैयार करना इत्यादि करनी है, उनकी जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी के आधार पर एजेंसी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी तथा क्रियान्वयन में सहभागिता निभायेगी।
यह कार्य पूरे वर्ष की जायेगी।
इस कार्य हेतु प्रतिवर्ष १.६ लाख रू० प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा खर्च की जायेगी।
**मूल्याकनः-**
मूल्याकन का आधार मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर किया जायेगा। एक जिस गतिविधि के लिए प्रचार-प्रसार के सामग्री का निर्माण किया गया है उस गतिविधि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उससे संबंधित आई०ई०सी० गतिविधि के मूल्याकन का मापदंड होगा।

# वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - **''अन्य गतिविधियाँ''**

(प्रखंड स्तरीय बी०सी०सी० रणनीति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation, बी०सी०सी० कियाकलाप (रेडियों, कलाजत्था एवं आई०ई०सी० रणनीति विस्तारण ) (13.16+13.7 समेकित रूप)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - A.12.4

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - A.12.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - प्रखंड स्तरीय बी०सी०सी० रणनीति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation, बी०सी०सी० कियाकलाप (रेडियों, कलाजत्था एवं आई०ई०सी० रणनीति विस्तारण )

इकाई राशि (रू० लाख में) - 0.97 लाख रू० प्रतिवर्ष प्रति प्रा०स्वा०केन्द्र (कुल प्रा०स्वा०केन्द्र-३६७ के आधार पर)

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा -सह-प्रभारी आई.ई.सी.**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017

## A.12.4- "अन्य गतिविधियाँ"

प्रखंड स्तरीय बी०सी०सी० रणनीति/योजना सह विशेष बी०सी०सी० Intervention/Implementation, बी०सी०सी० क्रियाकलाप (रेडियों, कलाजत्था एवं आई०ई०सी० रणनीति विस्तारण )

परिभाषाः
प्रखंड स्तर की स्थानीय सम्प्रेषण गतिविधियाँ को संचालित कराना जैसे लोक कला, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य मेले में प्रचार-प्रसार, दिवाल लेखन, प्रर्दशनी पैनल इत्यादि का क्रियान्वयन कराना। स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे कलाजत्थाओं के सहयोग से जन समुह के बीच प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा। एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के क्षेत्र विशेष की भाषा/बोल एवं रिति-रिवाजो के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त नीति एवं सामग्री तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है।

उद्देश्यः
इस प्रकार की गतिविधियाँ तब और प्रभावी होती है जब इनको विकेन्द्रीकृत नियोजन के अर्न्तगत किया जाये। "इन गतिविधियों से जन संचार के माध्यम से संप्रेषित संदेशों को मजबूती मिलेगी तथा जन समुदाय तक संदेशों का प्रसार बार-बार हो सकेगा । स्थानीय प्रखंड स्तर स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत मिल रही सुविधाओं एवं जागरूकता हेतु घर-घर तक या घर-घर के सामने संदेश पहुँचाने की आवश्यकता है। प्रचार-प्रसार संचरन माध्यम को सशक्त बनाने, दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ संचारन हेतु एवं स्वास्थ्य योजनाओं से मानव को व्यवहार एवं अनुभव के साथ जोड़ा जाना है। यह क्रियाकलाप मास मीडिया के संदेश को भी तीव्र गति से संचारित करेगा।

संपादन : यह कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी तथा आवंटित राशि का खर्च भी उन्हीं के द्वारा की जायेगी।

क्रियान्वयन : यह गतिविधि २४ x ७ संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। इसका आयोजन स्थानीय एन०जी०ओ०/छोटे संवेदको, लोक संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा । कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन भी इन संस्थाओं के सहयोग से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कराना सुनिश्चित करेगें। संस्थाओं का चयन सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक की कमिटि कोटेसन/अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर वित्तीय नियमानुकूल करेगी। इस कमिटि के अध्यक्ष सिविल सर्जन होगें। चयनित एजेंसियों के नाम जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारीयों को भेज दिये जायेगे। तदनोपरान्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उक्त चयनित संस्था से स्वास्थ्य प्रबंधक की सहायता से उपरोक्त उद्देश्य हेतु कार्य लिया जायेगा एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एक कार्य नीति के तहत कार्य को संपादित कराना सुनिश्चित करेगें। इससे संबंधित राशि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। इन सभी कार्यो का फॉलोअप कार्य किये जाने वाले संबंधित क्षेत्र की आशा करेगी। उसके क्षेत्र में होने वाले कार्य/प्रचार-प्रसार की सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को देगी।
यह कार्य पूरे वर्ष की जायगी।
मूल्याकनः-

मूल्याकन का आधार मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर किया जायेगा। एक जिस गतिविधि के लिए प्रचार-प्रसार के सामग्री का निर्माण किया गया है उस गतिविधि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उससे संबंधित आई०ई०सी० गतिविधि के मूल्याकन का मापदंड होगा।

06

# वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - ''अन्य गतिविधियाँ''
(राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय के शहरी जिलों में जरूरत अधारित प्रचार-प्रसार का क्रियान्वयन एवं मोबाईल होर्डिंग एवं ऑडियो विडियो वैन द्वारा प्रचार-प्रसार ) (13.13+13.18 समेकित)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - A.12.4

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - A.12.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय के शहरी जिलों में जरूरत अधारित प्रचार-प्रसार का क्रियान्वयन ।

इकाई राशि (रू० लाख में) -2.00 लाख रू० प्रतिवर्ष प्रति प्रमंडलीय मुख्यालय जिला स्वास्थ्य समिति

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा -सह-प्रभारी आई.ई.सी.**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017

## A.12.4- ''अन्य गतिविधियॉं''

राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय जरूरत आधारित प्रचार-प्रसार का क्रियान्वयन एवं मोबाईल हॉर्डिंग एवं ऑडियो विडियो वैन द्वारा प्रचार-प्रसार

**परिभाषाः**

सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लक्षित समुदाय को ध्यान में रखते हुये चलन्त वैन का उपयोग एवं शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अवश्यकता पर आधारित आई०ई०सी० गतिविधियों का क्रियान्वयन। राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलो एवं इसके सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप पम्पलेट, पोस्टर, बेनर इत्यादि के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा कैनोपी के माध्यम से मुद्रित सामग्री का वितरण/प्रचार-प्रसार तथा चलन्त हॉर्डिंग/ऑडियो विडियो वैन के द्वारा सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं संवादों को जन-जन तक संचारित/विस्तारित किया जाना है।

**उद्देश्यः**

किसी नयी सेवा अथवा उत्पाद को बढ़ावा देने में चलत संप्रेषण माध्यम का प्रयोग व्यवसायिक एवं समाजिक दोनो क्षेत्रों में उपयोगी सावित हुआ है। चलन्त मिडिया चैनल/ चलन्त हॉर्डिंग/ऑडियो विडियो वैन की प्रक्रिया नये स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समुदायिक/समाजिक प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस गतिविधि के द्वारा किसी विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं या योजनाओं को प्रचारित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के किसी विशेष कार्यक्रमों/घटनाओं को भी प्रचारित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वायन फ्लू से बचने के उपाय, मिजिलस टीकाकरण का प्रचार, विश्व स्वास्थ्य दिवस इत्यादि । इस गतिविधि के द्वारा प्रमंडलीय मुख्यालय जिला एवं इसके दलित बहुल गाँव तथा आस-पास के क्षेत्रों में चलन्त मिडिया चैनल/ चलन्त हॉर्डिंग/ऑडियो विडियो वैन द्वारा प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

आज इस बात की आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाये विशेषकर शहरी मलिन बस्तियों में इन प्रयासों की अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मजबूती के लिये आवश्यकता पर आधारित आई०ई०सी० गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त गाँव-गाँव में स्थानीय ए०एन०एम० एवं आशा की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रचार-प्रसार सामग्री के स्टॉल के पास स्थानीय ए०एन०एम०, आगनवाड़ी सेविका एवं आशा द्वारा जन समुह को इकट्ठा करने से प्रचार-प्रसार प्रभावी होगें।

**संपादन :** यह कार्य प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन द्वारा संपादित किया जायेगा।

**क्रियान्वयन :** इस गतिविधि हेतु प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्य योजना निर्धारित कर एजेंसी का चयन किया जायेगा। जो एजेंसी जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं सिविल सर्जन के निर्देशन में सुसज्जित चलन्त मिडिया चैनल/ चलन्त हॉर्डिंग/ऑडियो विडियो वैन एवं कैनोपी तैयार करेगा। प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री संबंधित एजेंसी द्वारा ही निर्माण किया जायेगा। एजेंसी द्वारा प्रत्येक महिने में एक वार प्रचार-प्रसार करेगा। इस एजेंसी के निर्धारण हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर अल्पकालीन निविदा निकाली जायेगी। जिसमें सिविल सर्जन की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक की कमिटि वित्तीय नियमानुकूल द्वारा एजेंसी का चयन करेगी। प्रमंडलीय मुख्यालय की जिला स्वास्थ्य समिति वैन का रूट मेप तैयार करेगी। जिला स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित हेन्ड बिल्स मुद्रण करा कर वैन द्वारा बटवाना सुनिश्चित करेगी। इससे संबंधित राशि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा खर्च की जायेगी। इन सभी कार्यो का फॉलोअप भ्रमण किये जाने वाले संबंधित क्षेत्र की आशा करेगी। उसके क्षेत्र में होने वाले कार्य/प्रचार-प्रसार की सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को देगी।

यह कार्य प्रति माह संपादित किया जायेगा।

**मूल्याकनः-**

मूल्याकन का आधार मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर किया जायेगा। एक जिस गतिविधि के लिए प्रचार-प्रसार के सामग्री का निर्माण किया गया है उस गतिविधि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उससे संबंधित आई०ई०सी० गतिविधि के मूल्याकन का मापदंड होगा।